विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री किरण पाल कश्यप, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
6 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि शगुन बिहार कालोनी (शहीद भगत सिंह वार्ड) निकट पावर हाउस, अमराई गाँव, जोन-7 इंदिरा नगर लखनऊ में राम स्वरूप यादव के मकान से बी0एन0 सिंह के मकान तक लगभग 50 मीटर आर0सी0सी0 रोड व नाली बनाने का आगणन, नगर आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय में लम्बित है ?	जी नहीं।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक करायेंगे ?	प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट सोसाइटी/ कॉलोनाईजर द्वारा अनधिकृत रूप से बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कॉलोनियों के विकास का प्रथम दायित्व संबंधित सोसाइटी / कॉलोनाईजर का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से प्राथमिकता निर्धारित करते हुये समय-समय पर विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता तथा स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।